के. विरुपाक्ष एवं अन्य.

बनाम

कर्नाटक राज्य एवं अन्य

(आपराधिक अपील संख्या. 377/2020)

3 मार्च, 2020

(2019 की एसएलपी (आपराधिक) संख्या 5701 से उत्पन्न)

[आर भानुमति, एस अब्दुल नजीर और ए.एस बोपन्ना, जे.जे.]

अपील को अनुमति देते हुए, अदालत ने

अभिनिर्धारित किया: 1.1 तथ्य यह है कि यह स्वीकृत स्थिति है कि शिकायतकर्ता का लेखा एन. पी. ए. के रूप में वर्गीकृत था। उस संबंध में जब सुरक्षित लेनदार का प्रतिभूति ब्याज लागू करने का अधिकार प्राप्त होता है तब वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन की धारा 13 और 14 के तहत विचार की गई प्रक्रिया । (सरफेसी अधिनियम) का सहारा लिया जाना है। इसके अलावा प्रतिभूति व्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 सुरक्षित संपत्ति के मूल्यांकन और बिक्री के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया प्रदान करता है। यदि शिकायतकर्ता को, एक उधारकर्ता के रूप में, सरफेसी अधिनियम की धारा 13 के प्रावधानों को लागू करते हुए सुरक्षित लेनदार द्वारा किए गए किसी भी उपाय के संबंध में कोई शिकायत थी, तो सरफेसी अधिनियम की धारा 17 के तहत प्रदान किया गया उपाय था जिसका लाभ उठाया जा सके । यह उस प्रकाश में उच्च न्यायालय ने रिट की कार्यवाही में इस निष्कर्ष पर पहुंची थी।

उस समय शिकायतकर्ता ने धारा 17 के तहत आवेदन दायर करके अधिनियम के तहत उपचार का लाभ उठाया। चूंकि दाखिल करने में देरी हुई थी, इसलिए परिसीमन अधिनियम की धारा 5 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें विलंब की माफी

की मांग की गई थी। उसी को विलंब के आधार पर खारिज कर दिया गया था जिसके खिलाफ एक अपील डी. आर. ए. टी. के सामने दायर की गई थी जो लंबित था हालांकि अब इसे कहा जाता है कि ख़ारिज कर दिया गया। यह उस स्तर पर है जब यह अभी भी लंबित था।

पी. सी. No.389/2016 में शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें दिनांक 20.05.2016 के एक आदेश के माध्यम से Cr.PC की धारा 156 (3) के तहत इसे जांच के लिए भेजा गया था ।

ऋण की मंजूरी, बंधक का निर्माण और जिस तरीके से स्वीकृत ऋण जारी किया जाना था, वे सभी पक्षों के बीच संविदात्मक मामले हैं। शिकायतकर्ता एक उद्योगपति है जिसने अपनी कंपनी के नाम पर ऋण प्राप्त किया था और ऋण खाते का रखरखाव केनरा बैंक के द्वारा किया गया था। यह स्वीकार किया जाता है कि ऋण 16.03.2009 पर स्वीकृत किया गया था। जब राशि जारी की गई थी और यदि कोई राशि रोकी गईं थी, तो शिकायतकर्ता को उस समय उचित कार्रवाई करने और अपने उपचार का लाभ उठाने की आवश्यकता थी। दूसरी ओर, शिकायतकर्ता लेन-देन जारी रखा था, ऋण खाते को तब तक बनाए रखा जब तक कि खाते को दिनांक 15.01.2013 तक एन. पी. ए. के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया। शुरू में उठाया गया मुद्दा केवल संपत्ति के कम मूल्यांकन के संबंध में था जब इसे बिक्री के लिए लाया गया था। उस पहलू पर, जैसा कि ध्यान दिया गया है, रिट कार्यवाही दायर की. गई थी और एकल न्यायाधीश ने जांच करने के बाद, हालांकि यह योग्य नहीं पाया और इसे डी. आर. टी. के समक्ष उठाने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखी थी, जिसे विकल्प को भी उपयोग किया गया है। इसके बाद ही दिनांक 20.05.2016 को

विवादित शिकायत दर्ज की गई।

1.2 एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम अपने आप में एक पूर्ण संहिता है जो सुरक्षित लेनदार द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया प्रदान करता है और उधारकर्ता सहित पीडित पक्षों के लिए भी उपचार प्रदान करता है । ऐसी परिस्थिति में जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा रिट कार्यवाही में पहले ही ध्यान में रखा गया है, यदि खाते को एन. पी. ए. के रूप में वर्गीकृत करने के तरीके में या जिस तरीके से संपत्ति का मूल्य निर्धारित किया गया था या नीलामी की गई थी, उसमें कोई विसंगति है, तो डी.आर.टी. को यह शक्ति निहित है कि सुरक्षित लेनदार द्वारा सरफेसी अधिनियम की धारा 13 के तहत शक्ति का आह्वान करने के बाद इस तरह की नीलामी को रद्द कर सकता है ।सरफेसी अधिनियम के तहत बैंकों द्वारा की गई कार्रवाई न तो निर्विवाद है और न ही सभी परिस्थितियों में इसे पवित्र माना जाता है, लेकिन अगर बैंक द्वारा आगे बढ़ने के तरीके में विसंगति है तो यह हमेशा प्रदान किए गए मंच पर चुनौती करने के लिए खुला रहेगा। यद्यपि तत्काल मामले में डी. आर. टी. के समक्ष शिकायतकर्ता द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया है और डी. आर. ए. टी. के समक्ष दायर अपील No.523/2015 को भी खारिज कर दिया गया है, अपीलकर्ताओं को सावधानीपूर्वक उपचार का लाभ उठाना चाहिए था। उस दिशा में डी. आर. टी. और डी. आर. ए. टी. के आदेश पर प्रहार करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर आगे का उपचार भी उपयुक्त मामलों में उपलब्ध है। इसके बजाय याचिकाकर्ता ने डी. आर. टी. के समक्ष आवेदन को खारिज करने के बाद विवादित शिकायत दर्ज की जो एक डराने-धमकाने वाली रणनीति और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। वर्तमान प्रकृति के मामले में यदि प्रस्तुत की गई शिकायत पर ध्यान दिया जाता है और यदि इसे शिकायत के माध्यम से उत्तेजित करने और अनुसंधान जारी रखने की अनुमति इस समय दी जाती है तो यह पुलिस प्रक्रियाको पुनः जारी रखने के बराबर होगा जो उच्च न्यायालय द्वारा रिट कार्यवाही में एकल न्यायाधीश और खंड पीठ द्वारा पारित आदेश और सरफेसी अधिनियम के तहत सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की समीक्षा करने की प्रकृति में होगी जो न तो

बांछनीय है और न ही अनुमेय है और बैंकिंग प्रणाली इस तरह की धमकी सकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।

अधिकृत अधिकारी, इंडियन ओवरसीज बैंक और ए. एन. आर. बी.

अशोक सॉ मिल (2009) 8 एससीसी 366: [2009] 11 एससीआर 599

1.3 <u>आदेश</u>

(i) पी. सी. No.389/2016 वाली शिकायत और उसमें दिनांक 20.05.16 को पारित आदेश और फ. आई. आर. न. 0152 /2016 जहाँ तक अपीलकर्ताओं का संबंध है, खारिज कर दी गई है ।

(ii) जहाँ तक शिकायतकर्ता की शिकायत है, वह कानून के अनुसार अपने उपचार का लाभ उठाने की स्वतंत्रता यदि वह आई. आर. न. 3044/2014 में पारित दिनांकित 12.06.2015 आदेश और डी. आर. टी. और डी. आर. ए. टी. द्वारा क्रमशः अपील No.523/2015 में पारित दिनांकित 31.05.2017 आदेश पर कानून के अनुसार चुनौती करने का विकल्प चुनता है।

हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल (1992) **सुप** (1) एस. सी. सी. 335 : [1990] 3 **सुप** एस. सी. आर. 259

यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम. सत्यवती टंडन और **अन्य** (2009) 1 एससीसी 168: [2008]एस. सी. आर. 28;

जनरल ऑफिसर कमांडिंग, राष्ट्रीय राइफल्स बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और ए. एन.आर. (2012) 6 एससीसी 228: [2012 5 एस. सी. आर. 599

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील सं.. 377/202

कर्नाटक उच्च न्यायालय, धारवाड़ पीठ के दिनांक 21.01.2019 के निर्णय और आदेश धारा 482 के तहत दायर याचिका सीआर.एल याचिका संख्या 100323/2018 ।

अपीलार्थी के लिए अधिवक्ता बृजेश कुमार तांबर, सुश्री मणि सोलंकी।

उत्तरदाता के लिए अधिवक्ता सुश्री किरण सूरी, वरिष्ठ अधिवक्ता, चंद्रशेखर ए. चकलब्बी, शिव पांडे, अवनीश, अंशुल राय, अमित एस. जे. मेसर्स ऐश्वर्या कुमार (एम / एस के लिए धर्मप्रभास लॉ एसोसिएट्स), शुभा पाथी, अशीष यादव, रक्षित जैन, विशाल बंशल, जोसेफ अरस्तू एस

न्यायालय का निर्णय ए.एस बोपन्ना, जे. द्वारा दिया गया था

1. अपील स्वीकृत

2. यहां अपीलकर्ता आपराधिक याचिका संख्या 100323/2018 में याचिकाकर्ता थे, जिसे कर्नाटक उच्च न्यायालय, धारवाड़ पीठ ने दिनांक 21.01.2019 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया था। उक्त आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपीलकर्ताओं द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए पारित किया गया था । जिसमें अनुरोध किया गया कि पीसी संख्या 389/2016 में प्रधान सिविल न्यायाधीश और जेएमएफसी द्वारा दि0-20.05.2016 को पारित आदेश में मामले को जांच और परिणामी कार्रवाई के लिए संदर्भित किया जाए एवं आईपीसी की धारा 511 , 109 , 34 , 120 बी , 406, 409, 420, 405, 417 और 426 के तहत दंडनीय कथित अपराधों के लिए हुबली उपनगरीय पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज अपराध संख्या 152/2016 में दर्ज प्रथम इत्तिला सुचना

का पंजीकरण रद्द किया जाए। उक्त कार्यवाही में अपीलकर्ताओं को क्रमशः अभियुक्त संख्या 9 और 11 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यहां अपीलकर्ता प्रासंगिक समय पर केनरा बैंक (अभियुक्त नंबर 1), हुबली, कर्नाटक में सर्कल कार्यालय में उप महाप्रबंधक के रूप में काम कर रहे थे।

3. वर्तमान स्थिति के लिए संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रतिवादी नंबर 2 (इसके बाद 'शिकायतकर्ता' के रूप में संदर्भित किया गया है) ने हुबली में केनरा बैंक से संपर्क किया था, जिसके अनुसार 16.03.2009 को ऋण सुविधा स्वीकृत की गई थी । कुल 2.68 करोड़ रुपये की श्रृण सुविधा स्वीकृत की गई । हुबली के अंचाटगेरी गांव में स्थित सर्वेक्षण संख्या 213/2002 वाली संपत्ति जिसकी माप 3 एकड़ 2 गुंटा है को उक्त ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में पेश किया गया था और एक शुल्क बनाया गया था। उक्त संपत्ति को इसके बाद 'सुरक्षित संपत्ति' के रूप में संदर्भित किया जाता है । केनरा बैंक के मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता ने ऋण राशि का भुगतान नहीं किया था और इस दृष्टि से डिफ़ॉल्ट होने पर, शिकायतकर्ता के खाते को 15.01.2013 को गेर निष्पादित परिसम्पति (संक्षेप में 'एनपीए') के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इस प्रकार केनरा बैंक ने वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 (संक्षेप में ' सरफेसी अधिनियम ') की धारा 13 (2) के तहत शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उचित नोटिस जारी किए और अंततः सुरक्षित संपत्ति का कब्ज़ा कर लिया। जैसा कि सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत 22.03.2013 को लिया गया था। इसके बाद सुरक्षित संपत्ति का मूल्यांकन किया गया और सार्वजनिक नोटिस दिनांक 13.10.2013 के माध्यम से नीलामी में लाया गया, जिसमें नीलामी की तारीख 15.11.2013 बताई गई। सुरक्षित संपत्ति का आरक्षित मूल्य 2,28,51,000/ रुपये तय किया गया था। यद्यपि प्रकाशन हो चुका था, 15.11.2013 को प्रस्तावित नीलामी में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई थी और चूँकि उस दिन कर्नाटक राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित था,

इसलिए नीलामी 04.12.2013 तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। उक्त तिथि को भी कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।

4. तदनुसार, केनरा बैंक ने मूल्यांकन को संशोधित किया था, जिसमें आरक्षित मूल्य 1.10 करोड़ रुपये दर्शाया गया था क्योंकि उच्च दर पर पहले के आरक्षित मूल्य ने खरीदारों को आकर्षित नहीं किया था और 30.12.2013 को नई नीलामी नोटिस जारी किया था। शिकायतकर्ता ने इस तरह की कार्रवाई से व्यथित होने का दावा करते हुए, रिट याचिका संख्या 100382/2014 में कर्नाटक उच्च न्यायालय, धारवाड़ बेंच के समक्ष दायर एक रिट याचिका में नीलामी नोटिस का विरोध किया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने मामले पर विचार करते हुए, शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई दलीलों पर ध्यान देने के अलावा, सरफेसी अधिनियम के तहत शिकायतकर्ता के लिए उपलब्ध वैकल्पिक उपाय पर भी विचार किया और तदनुसार रिट याचिका को 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ दि0-12.01.2014 को खारिज कर दिया। शिकायतकर्ता ने डब्ल्यूए नंबर 100349/2014 में डिवीजन बेंच के समक्ष एक रिट अपील दायर करके उक्त आदेश पर आपत्ति जताई । डिवीजन बेंच ने दिनांक 19.08.2014 के आदेश के माध्यम से रिट अपील को खारिज कर दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने आईआर नंबर 3044/2014 (एसए) में एक आवेदन दाखिल करके सरफेसी अधिनियम की धारा 17 (1) के तहत उपचार का लाभ उठाया और साथ ही आईए नंबर 4482 वाली परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक आवेदन भी संलग्न किया। /2014. देरी की माफ़ी की मांग करने वाले आवेदन और परिणामस्वरूप मुख्य आवेदन को ऋण वसूली न्यायाधिकरण (संक्षेप में 'डीआरटी') ने अपने आदेश दिनांक 12.06.2015 के माध्यम से खारिज कर दिया था। इसके अनुसरण में शिकायतकर्ता ने ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण, चेन्नई (संक्षेप में 'डीआरएटी') के समक्ष एक अपील दायर की है, जिसे भी खारिज कर दिया गया है।

5. यह उक्त पृष्ठभूमि में शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 200 के तहत प्रिंसिपल सिविल जज (जूनियर डिवीजन) और जेएमएफसी, हुबली की अदालत में पीसी नंबर 389/2016 में शिकायत दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि केनरा बैंक के अधिकारियों ने नीलामी क्रेता के साथ मिलकर शिकायतकर्ता को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया। उक्त शिकायत में, केनरा बैंक के अलावा, उच्च पदस्थ अधिकारियों, अपीलकर्ताओं, मूल्यांकनकर्ताओं और नीलामी खरीदार को आरोपी के रूप में दिखाया गया था। उक्त शिकायत को रिकॉर्ड पर लेते हुए, विद्वान मजिस्ट्रेट ने इसे सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत जांच के लिए और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए संदर्भित किया है। ऐसे निर्देश के आधार पर प्राथमिकी संख्या 0152/2016 दर्ज की गयी है. इसलिए, अपीलकर्ताओं ने पिडित होने का दावा करते हुए आपराधिक याचिका संख्या 100323/2018, सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आपराधिक याचिका दायर की थी, जिसे उच्च न्यायालय ने 21.01.2019 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया था, जिसे यहां चुनौती दी गई है।

6. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री ब्रिजेश कुमार तंबर, शिकायतकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील सुश्री किरण सूरी, कर्नाटक राज्य के ओर से विद्वान वकील श्री शुभांशु पाधी को सुना और अपील कागजात का अवलोकन किया।

7. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील का तर्क दिया कि अपीलार्थी के अलावा शिकायतकर्ता और केनरा बैंक के बीच लेनदेन में अपीलकर्ताओं की कोई भूमिका नहीं है । उप महाप्रबंधक होने और सर्कल कार्यालय में काम करने के बावजूद, उन्हें किसी अन्य अपराधिक कार्यवाई, वर्तमान प्रकृति के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है । यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि ऋण लेनदेन और ऋण न चुकाने के कारण खाते को एनपीए के रुप में माना जा रहा है, इस पर विवाद नहीं किया जा सकता है। उस परिस्थिति में संपत्ति की बिक्री के चरण तक की गई पूरी कार्रवाई सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत

विनियमित होती है जो न केवल प्रक्रिया प्रदान करती है बल्कि संबंधित पक्षों की शिकायत के निवारण के लिए भी प्रावधान करती है। उस परिस्थिति में भले ही शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत पर ध्यान दिया जाए, लेकिन वह आपराधिक शिकायत को बनाए रखने का आधार नहीं बन सकती है और ऐसी स्थिति में विद्वान मजिस्ट्रेट ने बिना दिमाग लगाए धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत जांच का निर्देश दिया है । जिसके कारण एफआईआर दर्ज की गई। यह तर्क दिया गया है कि केनरा बैंक द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में, शिकायतकर्ता ने वास्तव में रिट याचिका, रिट अपील और उसके बाद डीआरटी और डीआरएटी के समक्ष कार्यवाही दायर करने के उपचार का लाभ उठाया है और इसमें विफल होने पर आपराधिक कानून को गति दिया जो प्रामाणिक नहीं है और कानून में टिकाऊ नहीं है। यह तर्क दिया गया है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने इस मामले की सही परिप्रेक्ष्य में सराहना नहीं की है। इसके बजाय, विद्वान न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जांच अपीलकर्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी, जो उचित नहीं है। यह तर्क दिया गया है कि जब किसी चूककर्ता के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, यदि तत्काल कार्रवाई की अनुमति दी जाती है, तो आधिकारिक कार्यों का निर्वहन करना संभव नहीं होगा और इस तरह तत्काल मामला एक उपयुक्त मामला है जहां हस्तक्षेप की आवश्यकता थी लेकिन उच्च न्यायालय मामले के इस पहलु की सराहना करने में विफल रहा है। इसके अलावा, यह भी टंकित किया गया है कि विद्वान न्यायाधीश द्वारा अपीलकर्ताओं द्वारा दायर याचिका को केवल इसलिए खारिज करना उचित नहीं था क्योंकि आपराधिक याचिका संख्या 101258/2016 और कुछ अन्य आरोपियों द्वारा दायर आपराधिक याचिका संख्या 101162/2016 में अन्य याचिकाएं शामिल थी जो बर्खास्त कर दिया गया और पुलिस को अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश जारी किया गया था।

8. दूसरी ओर, शिकायतकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील उन्हीं आपराधिक याचिकाओं पर भरोसा करेंगे, जिन्हें उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था, जहां तक आरोपी नंबर 1 और

12 का संबंध है। यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि 2.68 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया था, केवल 90 लाख रुपये की राशि वितरित की गई थी और शेष राशि को पुनर्भुगतान के रूप में समायोजित किया गया था। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि सुरक्षित संपत्ति, जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपये से अधिक थी, का कम मूल्यांकन किया गया और अंततः नीलामी खरीदार, जिसे आरोपी नंबर 15 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, की मिलीभगत से 1.10 करोड़ रुपये में बेच दिया गया। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि बंधक संपत्ति का कम मूल्यांकन ही एकमात्र मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे ऋण के गैर-वितरण और शिकायतकर्ता द्वारा वन टाइम सेटलमेंट (संक्षेप में 'ओटीएस') के लिए दिए गए तीन प्रस्तावों पर विचार न करने के संबंध में मुद्दा है।) वे सभी पहलू हैं जिनकी जांच की जानी है। यह तर्क दिया गया है कि ऐसी परिस्थिति में विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशित जांच उचित थी और उच्च न्यायालय ने इस स्तर पर मामले में हस्तक्षेप करने से उचित रूप से परहेज किया है। इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ताओं द्वारा तत्काल अपील में दिए गए तर्क विचार के योग्य नहीं हैं और अपील खारिज होने योग्य है। कर्नाटक राज्य के विद्वान वकील का तर्क होगा कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा जारी निर्देश के अनुसार एफआईआर दर्ज की गई है और जांच जारी है और इसलिए, इसे तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

9. पक्षों की ओर से आग्रह की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने से पहले हमने हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल (1992) सुप (1) एससीसी 335 के मामले में इस न्यायालय के फैसले के शिकायतकर्ता के विद्वान वरिष्ट वकिल द्वारा विचार के लिए रखा है। जिन्हें आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए असाधारण शक्ति/अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। मापदंडों को बताते हुए, इस न्यायालय ने चेतावनी दी है कि आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग बहुत संयमित और सावधानी के साध किया जाना चाहिए और वह भी दुर्लभ मामलों में। उस पृष्ठभूमि में, लेन-

देन की प्रकृति और उसी विषय पर पिछली कार्यवाही के तरीके को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान स्थिति पर विचार करना आवश्यक है।

10. जैसा कि उल्लेख किया गया है, निर्विवाद तथ्य यह है कि शिकायतकर्ता ने वित्तीय सहायता के लिए केनरा बैंक से संपर्क किया था, जिसमें अपीलकर्ता सर्कल कार्यालय के अधिकारी थे। शिकायतकर्ता ने 16.03.2009 को 2.68 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा का लाभ लिया था। हालांकि शिकायतकर्ता का तर्क है कि 2.68 करोड़ रुपये की पूरी राशि जारी नहीं की गई थी, बल्कि केवल 90 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी और शेष राशि को पुनर्भुगतान के रूप में समायोजित किया गया था, सवाल यह होगा कि क्या वह पहलू और अन्य पहलू जैसा कि ओटीएस पर विचार न करने के संबंध में उठाया गया है, साथ ही जिस मूल्य पर संपत्ति बेची गई थी और जिस तरीके से इसे बेचा गया था, उसकी जांच पुलिस द्वारा केवल इसलिए की जा सकती है क्योंकि आरोप लगाए गए हैं और भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराएं लागु किया जाता हैं । जब कार्रवाई का सहारा लिया जाता है और सरफेसी अधिनियम के तहत विनियमित किया जाता है तो इसे लागू किया जाता है । घटनाओं के अनुक्रम पर ध्यान देने पर यह पाया गया कि सुरक्षित संपत्ति हालांकि 31.01.2014 को आयोजित नीलामी में बेची गई थी और आपराधिक शिकायत में इस बिंदु पर जो शिकायतें मांगी गई थीं, वे उस समय उपलब्ध थीं, ऐसा नहीं है मानो शिकायत तुरंत दर्ज कर दी गई थी । दूसरी ओर, जब नीलामी नोटिस दिनांक 13.10.2013 जारी किया गया था, तो शिकायतकर्ता द्वारा किसी भी न्यायिक मंच के समक्ष कोई शिकायत नहीं की गई थी। हालाँकि, खरीददारों की कमी के कारण बिक्री नहीं हुई और दिनांक 30.12.2013 को एक नया नीलामी नोटिस जारी किया गया जिसमें आरक्षित मूल्य 1.10 करोड़ रुपये दर्शाया गया था।

11. उस स्तर पर शिकायतकर्ता ने WP No.100382/2014 के माध्यम से भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत दायर एक रिट याचिका दायर कर कर्नाटक

उच्च न्यायालय, धारवाड़ बेंच का दरवाजा खटखटाया । उसमें नीलामी नोटिस दिनांक 30.12.2013 का विरोध किया गया था। जिस आरोप को अब सीआरपीसी की धारा 200 के तहत दायर शिकायत में लगाने की मांग की गई है, जिसमें अपीलकर्ताओं के साथ-साथ अन्य लोगों पर सुरक्षित संपत्तियों के कम मूल्यांकन के संबंध में आरोप लगाया गया है और यही वह तर्क था जिसे उक्त रिट याचिका में आग्रह किया गया था उक्त रिट याचिका में विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस तर्क पर ध्यान दिया था कि सुरक्षित संपत्तियों के संबंध में आरक्षित मूल्य शुरू में 228.51 लाख रुपये तय किया गया था, जिसे बाद में आयोजित नीलामी में इसे 1.10 करोड़ रुपये तय किया गया था और तत्पश्चात् निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला गया है:

> "निर्विवाद रूप से, याचिकाकर्ता श्रृणी है और उसे क्षेत्राधिकार ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा पारित पिडित आदेश का सामना करना पड़ा है। ऋण वसूली न्यायाधिकरण, बैंगलोर ने उक्त राशि की वसूली के लिए प्रतिवादी बैंक के पक्ष में वसूली प्रमाणपत्र जारी किया है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी बैंक को गिरवी रखी गई संपत्ति को नीलामी द्वारा बिक्री के लिए लाया गया है। यदि बैंक बिक्री करते समय सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करता है या इस संबंध में कोई उल्लंघन होता है, तो याचिकाकर्ता के पास सरफेसी अधिनियम के तहत एक वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है । इसलिए, अपने वैध बकाया की वसूली के लिए प्रतिवादी बैंक द्वारा आयोजित की जा रही नीलामी के चरण में, यह न्यायालय सामान्य प्रक्रिया में उक्त नीलामी में हस्तक्षेप नहीं करेगा।"
>
> "तत्काल मामले में, पहले आरक्षित मूल्य 228.51 लाख रुपये तय किया गया था, जिससे ग्राहक नहीं आए और इस प्रकार, प्रतिवादी बैंक ने आरक्षित मूल्य 110 लाख रुपये तय किया है, जो वह मूल्य होगा जिसके साथ सार्वजनिक

नीलामी शुरू होती है और नीलामी बोली लगाने वाले होते हैं। न्यूनतम मूल्य या आरक्षित मूल्य से नीचे बोली लगाने की अनुमति नहीं है। यदि याचिकाकर्ता किसी ग्राहक या बोलीदाता को सुरक्षित करने में सक्षम है जो याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तावित मूल्य के लिए अपनी बोली की पेशकश कर सकता है, तो यह कहना अनावश्यक होगा कि सुरक्षित लेनदार निश्चित रूप से उक्त बोली को स्वीकार करेगा क्योंकि उसने नीलामी के लिए पहले प्रयास किए थे। जो व्यर्थ हो गई है।"

"वर्तमान मामले में, जैसा कि पहले ही ऊपर चिन्हित किया जा चुका है, याचिकाकर्ता एक उधारकर्ता है और उसने बैंक को देय धनराशि के भुगतान में चूक की है। दूसरे शब्दों में, याचिकाकर्ता द्वारा बैंक को देय सार्वजनिक धन का भुगतान नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता के ऋण खाते को 'गैर-निष्पादित परिसंपत्ति' के रूप में वर्गीकृत किए जाने के बाद, प्रतिवादी बैंक ने बकाया राशि की वसूली के लिए सरपेसी अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की है। पूर्व में आयोजित नीलामी में 15.11.2013 एवं 04.12.2013 को होने वाली नीलामी में आरक्षित मूल्य 228.51 लाख रूपये निर्धारित किया गया था। हालाँकि, दिनांक 30.12.2013 को जारी किए गए अखबार प्रकाशन में 31.01.2014 को अपराह्न 3.30 बजे (नीलामी) में प्रस्तावित नीलामी में, आरक्षित मूल्य 110 लाख रुपये तय किया गया है। याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि संपत्ति का मूल्य 405.21 लाख रुपये से अधिक है और इस प्रकार, संबंधित संपत्ति को कौड़ी के दाम पर नहीं बेचा जा सकता है। यदि याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई संपत्ति का मूल्य 405.21 लाख रुपये है, तो याचिकाकर्ता को क्रेता या बोली लगाने वाले को उक्त मूल्य पर संपत्ति खरीदने और प्रतिवादी को देय ऋण चुकाने से कोई नहीं रोकता है, जो याचिकाकर्ता के अनुसार 31.01.2014 को लगभग 285.71 लाख रुपये है

(जो 11.10.2013 को 261 लाख रुपये था)। हालाँकि, उक्त उपाय किए बिना, याचिकाकर्ता नीलामी की कार्यवाही को रोकने का प्रयास कर रहा है जो स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रतिवादी बैंक एक राष्ट्रीयकृत बैंक है जो सार्वजनिक धन का संरक्षक है और नीलामी के माध्यम से संपत्ति की नीलामी करके अपना बकाया वसूलने के लिए कदम उठा रहा है। प्रतिवादी बैंक की कार्रवाई त्रुटिपूर्ण नहीं हो सकती।

प्रतिवादी बैंक ने यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुझाए गए उपायों में से एक को अपनाया है, जिसे "सार्वजनिक नीलामी" कहा जाता है, जिसके माध्यम से बड़ी भागीदारी होगी। यदि किसी भी कारण से नीलामी को निरस्त किया जाना है, तो याचिकाकर्ता सरपेसी अधिनियम के तहत उपलब्ध उपाय का सहारा ले सकता है और बिक्री को निरस्त करवा सकता है । हालाँकि, याचिकाकर्ता को इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार के तहत नीलामी को रोकने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। (जोर दिया गया)

12. इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचते समय विद्वान एकल न्यायाधीश ने सरफेसी अधिनियम में निहित प्रावधानों के साथ-साथ इस न्यायालय के निर्णयों को भी ध्यान में रखा था, विशेष रूप से यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम सत्यवती टंडन और अन्य के मामले में। (2009) 1 एससीसी

168. उस दृष्टिकोण में हालांकि विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रस्तुत किए गए तर्कों को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन यह भी संकेत दिया था कि यदि नीलामी को किसी भी कारण से रद्द किया जाना है, तो शिकायतकर्ता जो याचिकाकर्ता था, वह उपाय का सहारा ले सकता है सरपेसी अधिनियम के तहत उपचार का सहारा ले सकता है और बिक्री को रद्द कर दिया जाए। उस विचार में विद्वान एकल न्यायाधीश की राय थी कि शिकायतकर्ता को रिट याचिका में की गई प्रार्थना के माध्यम से नीलामी को रोकने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

शिकायतकर्ता ने डब्ल्यूए नंबर 100349/2014 वाली एक अतरिक्त न्यायालय अपील में उक्त आदेश की आलोचना की थी। डिवीजन बेंच ने अपने आदेश दिनांक 19.08.2014 द्वारा सत्यवती टंडन और अन्य (सुप्रा) के मामले के संदर्भ में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा किए गए विचार पर ध्यान दिया था और तदनुसार रिट अपील को खारिज कर दिया था।

13. उक्त रिट कार्यवाही में उच्च न्यायालय द्वारा किए गए विचार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और वर्तमान कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि क्या वर्तमान प्रकृति के मामले में अपीलकर्ताओं को आपराधिक कार्यवाही की प्रक्रिया से गुजरने की बदनामी का सामना करने वाले लोगों के लिए, सरफेसी अधिनियम में निहित प्रावधानों पर ध्यान देना भी उचित है । यह तथ्य विवाद में नहीं हो सकता है कि इस अधिनियम के तहत परिभाषित सुरक्षित संपत्ति से संबंधित उपचार के अभ्यास से संबंधित है। यह स्वीकृत तथ्य है कि शिकायतकर्ता के खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था । उस संबंध में जब सुरक्षित ऋणदाता को सुरक्षा हित को लागू करने का अधिकार मिलता है, तो सरफेसी अधिनियम की धारा 13 और 14 के तहत निहित प्रक्रिया का सहारा लिया जाना चाहिए। इसके अलावा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 सुरक्षित संपत्ति के मूल्यांकन और बिक्री के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया प्रदान करता है। यदि शिकायतकर्ता को एक उधारकर्ता के रूप में सरफेसी अधिनियम की धारा 13 के प्रावधानों को लागू करते हुए सुरक्षित ऋणदाता द्वारा किये गए किसी भी उपाय के संबंध में कोई शिकायत थी , तो सरफेसी अधिनियम की धारा 17 के तहत प्रदत किए गए उपाय का लाभ उठाया जाना था। इसी आलोक में उच्च न्यायालय रिट कार्यवाही में ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचा था। उस समय शिकायतकर्ता ने आईआर नंबर 3044/2014 में धारा 17 के तहत आवेदन दायर करके अधिनियम के तहत उपाय का लाभ उठाया। चूंकि दाखिल करने में विल्मब हुई थी, जिसे माफ़ करने के लीए परिसीमनअधिनियम की धारा 5 के तहत आईए नंबर 4 482/2015 में एक आवेदन दायर किया गया था। जिसे विलम्ब के आधार पर खारिज कर दिया गया था,

जिसके खिलाफ डीआरएटी के समक्ष एक अपील दायर की गई थी और यह लंबित थी, हालांकि अब इसे खारिज कर दिया गया है। यह उस चरण में है जब वह लंबित था एवं पीसी नंबर 389/2016 में विवादित शिकायत दायर की गई थी, जिसमें दिनांक 20.05.2016 के आदेश के माध्यम से इसे सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत जांच के लिए भेजा गया था।

14. शिकायतकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निस्संदेह अभियुक्त संख्या 1 और 12 द्वारा दायर आपराधिक याचिका संख्या 101162/2016 और आपराधिक याचिका संख्या 101258/2016 को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया और उसे अंतिमता प्राप्त करने हेतु आगे और नहीं बढ़ाया जा रहा है । यद्यपि यह स्थिति है, मौजूदा मामले में अपीलकर्ता उपलब्ध उपचार का उपयोग करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष हैं और इस प्रकार उक्त याचिकाओं को खारिज करने से उनके मामले पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता है, जब इस न्यायालय को मामले पर विचार करने की आवश्यकता होती है, हालांकि उसने पहले के मामलों में लाभ नहीं उठाया गया है। इसके अलावा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने केनरा बैंक के दो पूर्व अधिकारियों, गुरुपादय्या और बापू के बयानों का भी उल्लेख किया है जो जांच के दौरान दर्ज किए गए थे और विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा जांच के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट का संदर्भ दिया गया था। जिसमें जांच अधिकारी, अर्थात् सहायक पुलिस उपनिरीक्षक, उपनगरीय पुलिस स्टेशन, हुबली ने निष्कर्ष निकाला था कि जांच के अनुसार यह पाया गया है कि सभी आरोपी व्यक्तियों ने साजिश के साथ और एक-दूसरे के साथ मिलकर शिकायतकर्ता को स्वीकृत राशि 2.68 करोड़ में से केवल 90 लाख रुपये जारी करके धोखा दिया है और बाद में शेष राशि जारी नहीं करने से आर्थिक बाधा उत्पन्न हुई और गिरवी रखी संपत्ति को एक आरोपी को बेच दिया।

15. हालाँकि मुद्दा यह है कि क्या वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में पुलिस द्वारा ऐसी कार्यवाही की अनुमति दी जा सकती है। शुरुआत में ऋण की मंजूरी, बंधक का निर्माण और जिस तरीके से स्वीकृत ऋण जारी किया जाना था, वह सभी पक्षों के बीच संविदात्मक मामले हैं। शिकायतकर्ता एक उद्योगपति है जिसने अपनी कंपनी के नाम पर ऋण प्राप्त किया था और उस संबंध में केनरा बैंक द्वारा ऋण खाता संचालित रखा गया था। ऋण 16.03.2009 को स्वीकृत किया गया था। जब उस स्तर पर राशि जारी की गई थी और यदि कोई राशि रोकी गई थी, तो शिकायतकर्ता को उस समय उचित कार्रवाई कर उपचार प्राप्त करना था। दूसरी ओर, शिकायतकर्ता ने लेनदेन को आगे बढ़ाया था, 15.01.2013 को खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत होने तक ऋण खाता बनाए रखा था। प्रारंभ में उठाया गया मुद्दा केवल संपत्ति के कम मूल्यांकन के संबंध में था जब इसे बिक्री के लिए लाया गया था। उस पहलू पर, जैसा कि ध्यान दिया गया है कि रिट कार्यवाही दायर की गई थी और विद्वान एकल न्यायाधीश ने जांच की थी, हालांकि योग्यता नहीं पाई थी और इसे डीआरटी के समक्ष उठाने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखी थी, जिस विकल्प का भी लाभ उठाया गया है। इसके बाद ही 20.05.2016 को विवादित शिकायत दर्ज की गई।

16. सरफेसी अधिनियम अपने आप में एक पूर्ण संहिता है जो सुरक्षित ऋणदाता द्वारा अपनाई की जाने वाली प्रक्रिया और उधारकर्ता सहित पीड़ित पक्षों को उपचार भी प्रदान करता है। ऐसी परिस्थिति में, जैसा कि रिट कार्यवाही में उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही ध्यान रखा जा चुका है, यदि अपीलकर्ताओं के खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने के तरीके में या संपत्ति के मूल्य निर्धारण में नीलामी के तरीके में कोई विसंगति है, तो डीआरटी को यह अधिकार है कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13 के तहत सुरक्षित ऋणदाता द्वारा शक्ति का उपयोग करने के बाद चरण में ऐसी नीलामी को रद्द कर सकता है यह दृष्टिकोण प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन ओवरसीज बैंक एवं अन्य बनाम अशोक सॉ मिल (2009) 8 एससीसी 366 के मामले में न्यायालय के निर्णय से पुष्ट होता है जिसमें निर्धारण किया गया है ।

"34। धारा 13 के प्रावधान बैंकों और वित्तीय संस्थानों जैसे सुरक्षित लेनदारों को न केवल उधारकर्ता की सुरक्षित संपत्तियों पर कब्ज़ा करने में सक्षम बनाते हैं, बल्कि उधारकर्ता के व्यवसाय का प्रबंधन भी अपने हाथ में लेने में सक्षम बनाते हैं, जिसमें हस्तांतरण का अधिकार भी शामिल है। धारा 13 की उपधारा (4) के खंड (बी) के दो प्रावधानों में बताई गई शर्तों के अधीन, सुरक्षित परिसमपतियों को प्राप्त करने के लीए पट्टे एसाईनमेंट या बिक्री के माध्यम से हस्तारण का अधिकार सहित श्रृणकर्ता के व्यापार का प्रबंधन भी संभालन में सक्षम बनाते है ।

35. ऐसी व्यापक शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए और बैंकों या वित्तीय संस्थानों की ओर से किसी त्रुटि के कारण श्रृणदाता पर होने वाले पूर्वाग्रह को रोकने के लिए, धारा 17 में कुछ चेक और बैलेंस पेश किए गए हैं जो किसी भी व्यक्ति को श्रृणदाता सहित अनुमति देते हैं कि सुरक्षित लेनदार द्वारा उठाए गए धारा 13 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट किसी भी उपचार से पिड़ित होता है तो ऐसे उपचार किए जाने की तारीख से 45 दिनों के भीतर मामले में अधिकार क्षेत्र वाले डीआरटी के समय उपधारा 3 में निहित उपचार के तहत आवेदन करना होगा ।

36. इसलिए, विधायिका का मंशा स्पष्ट है कि जहां बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अपने बकाए की वसूली के लिए कठोर शक्तियां प्रदान की गई हैं, वहीं डीआरटी को शक्तियां निहित कर किसी भी त्रुटि या गलत उपयोग को सुधारने के लिए सुरक्षा उपाय भी प्रदान किए गए हैं। मामले में निर्णय लेने के बाद ऐसी किसी भी कार्रवाई को अमान्य घोषित करने और कब्ज़ा बहाल करने का अधिकार भी होगा, भले ही कब्ज़ा हस्तांतरिती को सौंप दिया गया हो।

37. धारा 17 की उपधारा (3) के तहत डीआरटी में निहित अधिकार के परिणाम अनिवार्य रूप से यह दर्शाते हैं कि डीआरटी सुरक्षित लेनदार द्वारा की गई कार्रवाई और धारा 13(4) के आधार पर किए गए लेनदेन कार्य पर सवाल उठाने का अधिकार है। कार्यवाही करना। धारा

17 में उपधारा (3) को शामिल करके विधायिका डीआरटी को बिक्री सहित लेनदेन को रद्द करने और उचित मामलों में उधारकर्ता को कब्ज़ा बहाल करने का अधिकार दी गई है।

परिणामस्वरूप, श्री गोपालन और श्री अल्ताफ अहमद द्वारा प्रस्तुत दलील तक कि डीआरटी के पास धारा 13(4) स्थिति से निपटने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। (जोर दिया गया)

17 हम दोहराते हैं, सरफेसी अधिनियम के तहत बैंकों द्वारा की गई कार्रवाई न तो निर्विवाद है और न ही सभी परिस्थितियों में इसे पवित्र माना जाता है, लेकिन अगर बैंक द्वारा आगे बढने के तरीके में कोई विसंगति है तो वह हमेशा दिए गए मंच पर इसकी आलोचना करने के लिए खुला रहेगा। हालांकि मौजूदा मामले में शिकायतकर्ता द्वारा डीआरटी के समक्ष दायर आवेदन खारिज कर दिया गया है और डीआरएटी के समक्ष दायर अपील संख्या 523/2015 को भी खारिज कर दिया गया है, अपीलकर्ताओं को सावधानी पूर्वक उपचार का लाभ उठाना चाहिए था ।

उस दिशा में उचित मामलों में डीआरटी और डीआरएटी के आदेश को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अतिरिक्त उपाय भी उपलब्ध है। इसके बजाय याचिकाकर्ता ने डीआरटी के समक्ष आवेदन खारिज होने के बाद विवादित शिकायत दायर की जो एक डराने वाली रणनीति और बाद में सोची गई सोच प्रतीत होती है जो कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। वर्तमान प्रकृति के मामले में यदि प्रस्तुत की गई शिकायत पर ध्यान दिया जाता है और यदि इस समय दर्ज की गई शिकायत के माध्यम से उसे उत्तेजित करने की अनुमति दी जाती है और यदि जांच जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो यह क्षेत्राधिकार पुलिस को अनुमति देने के समान होगा उस प्रक्रिया को फिर से करें जो उच्च न्यायालय द्वारा रिट कार्यवाही में विद्वान एकल न्यायाधीश और डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश और SARFAESI अधिनियम के तहत सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की समीक्षा

करने की प्रकृति स्वरुप होगी जो न तो वांछनीय है और न ही स्वीकार्य है । बैंकिंग प्रणाली को इस तरह डरा-धमका कर लूटने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसलिए, वर्तमान मामला एक उपयुक्त मामला है जिसमें असाधारण शक्ति का आह्वान और प्रयोग आवश्यक है।

18. यहां अपीलकर्ताओं ने सरफेसी अधिनियम की धारा 32 में निहित प्रावधान का भी उल्लेख किया था जो अभियोजन से छूट प्रदान करता है क्योंकि इसके तहत सदभावना में की गई कार्रवाई के लिए सुरक्षा प्रदान की जाती है। शिकायतकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस संबंध में जनरल ऑफिसर कमांडिंग, राष्ट्रीय राइफल्स बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य (2012)6 एससीसी 228 के मामले में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया है और यह तर्क देने के लिए कि सद्भावना और सार्वजनिक भलाई से संबंधित बचाव तथ्य के प्रश्न हैं और उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करके प्रमाणित साबित करना आवश्यक है। यद्यपि उसमें बताए गए कानून के प्रस्ताव पर कोई संदेह नहीं हो सकता है, लेकिन मामले का वह पहलू भी एक पहलू है जिसकी जांच सरफेसी अधिनियम के तहत प्रदान की गई कार्यवाही में की जा सकती है । ऐसी परिस्थिति में जहां हमने पहले ही संकेत दिया है कि वर्तमान प्रकृति के मामले में आपराधिक कार्यवाही टिकाऊ नहीं होगी, अपीलकर्ताओं को जांच अधिकारी या आपराधिक अदालत के समक्ष कार्यवाही के लिए उजागर करना भी उचित नहीं होगा।

19. उस दृष्टि से, ऊपर बताए गए सभी कारणों से हम निम्नलिखित आदेश को पारित करते हैं:

आदेश

(i) जहां तक अपीलकर्ताओं का संबंध है, शिकायत पीसी संख्या 389/2016 और उसमें पारित आदेश दिनांक 20.05.2016 और एफआईआर संख्या 0152/2016 को भी रद्द कर दिया गया है।

(ii) जहां तक शिकायतकर्ता की शिकायत का सवाल है, यदि वह आईआर नंबर 3044/2014 में दिनांक 12.06.2015 पारित आदेश और अपिल सं0-523/15 दिनांक 31.05.2017 में पारित आदेश को चुनौती देना चाहता है तो वह कानून के अनुसार डीआरटी और डीआरएटी के समय अपने उपचार का लाभ उठाने के लिए स्वतंत्र है।

(iii) अपील तदनुसार लागतों के संबंध में बिना किसी आदेश के स्वीकार की जाती है।

(iv) यदि कोई लंबित आवेदन हो तो उसका भी निपटारा कर दिया जाएगा।

अपील स्वीकृत

Rajendra Prasad

Page no. 1020 to 1035